प्रेस नोट

थाना नवावाब, झाँसी

दिनांक- 27.07.2026

- ➢ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- ➢ थाना नवाबाद पुलिस एवं स्वाट/सर्वेलंस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना नवाबाद पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार,
- ➢ अभियुक्तगण के कब्जे से 02 देशी तंमचे 315 बोर, नाल में फंसे 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, हत्या की घटना में प्रयुक्त की गई 01 औरा कार बरामद किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस .मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.07.2026 को थाना नवाबाद पुलिस एवं स्वाट/सर्वेलंस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद क्षेत्रान्तर्गत करगुवाजी सालासर सिटी से न्यू पुलिस लाईन जाने वाले कच्चे रास्ते पर भैंसासुर बब्बा मंदिर के पास से मु0अ0सं0 402/26 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. जीम सैफी उर्फ भीम पुत्र अब्दुल हमीम सैफी निवासी सिद्धेश्वर नगर आई.टी.आई कालोनी, थाना-सीपरी बाजार, जिला-झांसी उम्र करीब 28 वर्ष, 2. धर्मेन्द्र सिंह परिहार पुत्र जगदीश सिंह निवासी परवई थाना-रक्सा, जिला-झांसी उम्र करीब 32 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 देशी तंमचे 315 बोर, नाल में फंसे 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, हत्या की घटना में प्रयुक्त की गई 01 औरा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.07.2026 को श्री सर्वेश सिंह पुत्र श्री घनेन्द्र सिंह नि0-ग्राम हेवतपुरा थाना गरौठा जिला झांसी द्वारा थाना नवाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि दिनांक 23.07.2026 को उसका भाई संजय सिंह अपने साथियों के साथ दतिया से दर्शन कर लौटते समय मेड किचन रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से उसे गोली मार दी। उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज, झाँसी ले जाने पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 402/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अज्ञात अभि0गण की गिरफ्तारी व तलाश के प्रयासों के क्रम में दिनांक 27.07.2026 को थाना

नवाबाद पुलिस एवं स्वाट/सर्वेलंस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर करगुवाजी सालासर सिटी से न्यू पुलिस लाईन जाने वाले कच्चे रास्ते पर भैंसासुर बब्बा मंदिर के पास से अभियुक्तगण 1. जीम सैफी उर्फ भीम पुत्र अब्दुल हमीम सैफी निवासी सिद्देश्वर नगर आई.टी.आई कालोनी, थाना-सीपरी बाजार, जिला-झांसी उम्र करीब 28 वर्ष, 2. धर्मेन्द्र सिंह परिहार पुत्र जगदीश सिंह निवासी परवई थाना-रक्सा, जिला-झांसी उम्र करीब 32 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण व पुलिस बल के मध्य हुई मुठभेड़ में अभियुक्तगण के कब्जे से 02 देशी तंमचे 315 बोर, नाल में फंसे 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, हत्या की घटना में प्रयुक्त की गई 01 औरा कार बरामद किया गया।

मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त जीम सैफी उर्फ भीम उपरोक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज, झांसी भेजा गया है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मृतक संजय सिंह पुत्र घनेन्द्र सिंह प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त का कार्य करता था। इसी व्यवसाय से जुड़े अजय यादव निवासी ऑपोजिट आईटीआई कॉलोनी एवं धर्मेन्द्र सिंह परिहार भी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे।

पाल कॉलोनी स्थित एक भूमि को लेकर संजय सिंह एवं अजय यादव के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते संजय सिंह द्वारा अजय यादव के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास भी किया गया था। इसके अतिरिक्त, धर्मेन्द्र सिंह परिहार के स्वामित्व वाले शिवानी होटल के पीछे स्थित एक प्लॉट पर सजंय सिंह ने धर्मेंद्र को कमरे में बन्द कर नंगा कर मारपीट कर कब्जा कर लिया था।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उक्त रंजिश के चलते अजय यादव एवं धर्मेन्द्र सिंह परिहार ने मिलकर संजय सिंह की हत्या कराने की योजना बनाई तथा जितेन्द्र यादव उर्फ जीतू, हुसैन उर्फ खड्ड एवं अजीम उर्फ शेफी को हत्या करने की सुपारी दी। इस कार्य के लिए 50,000/- रुपये एडवांस दिए गए थे तथा शेष धनराशि घटना के बाद देने की बात तय हुई थी। अभियुक्तों के अनुसार, जितेन्द्र यादव, अजय यादव का रिश्तेदार होने के कारण इस षड्यंत्र में शामिल हुआ।

अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 23.07.2026 को रात्रि लगभग 09:30 बजे अजय यादव एवं धर्मेन्द्र सिंह परिहार द्वारा सूचना दिए जाने पर जितेन्द्र यादव उर्फ जीतू, हुसैन उर्फ खड्ड एवं अजीम उर्फ शेफी उर्फ भीम मैड किचन रेस्टोरेंट, खिलौना टॉकीज, इलाइट चौराहा, झाँसी के पास पहुँचे और मृतक संजय सिंह की रेकी की। जब संजय सिंह रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा था, तभी हुसैन उर्फ खड्ड ने उसके सिर पर नजदीक से पिस्टल सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

आज पुलिस कार्यवाही के दौरान अजीम सैफी उर्फ भीम एवं धर्मेन्द्र सिंह परिहार को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. जीम सैफी उर्फ भीम पुत्र अब्दुल हमीम सैफी निवासी सिद्धेश्वर नगर आई.टी.आई कालोनी, थाना-सीपरी बाजार, जिला-झांसी उम्र करीब 28 वर्ष,

2. धर्मेन्द्र सिंह परिहार पुत्र जगदीश सिंह निवासी परवई थाना-रक्सा, जिला-झांसी उम्र करीब 32 वर्ष.

बरामदगी का विवरण –

02 देशी तंमचे 315 बोर, नाल में फंसे 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, हत्या की घटना में प्रयुक्त की गई 01 औरा कार

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद मय पुलिस टीम

2- प्रभारी निरीक्षक स्वाट मय टीम के